DR. Y. LAKSHMI PRASAD: Madam,

SHRI S.S. SURJEWALA: Okay. I am very sorry.

कुछ माननीय सदस्य: ये क्या बात है ....(व्यवधान)

उपसभापति: देखिए, आज तक कभी हमारी सेना के बारे में मैंने ऐसा सवाल नहीं सुना है, न ही किसी ने पूछना है। अगर किसी ने इस तरह की बात कहीं है तो टैररिस्ट लोगों ने कहीं है और हम टैररिस्ट लोगों की बात को ऐहमियत नहीं देते हैं। जब टैररिस्ट लोगों पर दबाव पड़ेगा और चाहे आर्मी हो या दूसरी फोर्सेज हो, वे उनको दबाएंगी तो वे जरूर उनके खिलाफ आवाज उठाएंगे। इन फोर्सेज को वहां इसीलिए भेजा जाता है ताकि टैररिस्ट ऐक्टिविटीज़ बंद हो। तो इस तरह का सवाल यहां नहीं उठता है। मुझे लगता है कि हमारी सेना के बारे में बहुत सवाल हो गए है। अब हमें अगले सवाल पर जाना चाहिए। प्रश्न संख्या 284

one small question.

THE DEPUTY CHAIRMAN: I am not allowing any more questions on this issue.

SHRI S.S. SURJEWALA: Madam, I am not levelling any charge against our army. I was asking as to how he will ensure that...

THE DEPUTY CHAIRMAN: He cannot ensure it.

SHRI S.S. SURJEWALA: How will he ensure army's honour?

THE DEPUTY CHAIRMAN: Surjewalaji, the honour of our army and armed forces is not in danger by allegations of terrorism. So, that closes the whole chapter.

SHRI SURINDER KUMAR SINGLA: Such allegations were levelled by separatist forces.

THE DEPUTY CHAIRMAN: Yes, terrorists and separatist forces.

स्वतंत्रता सेनानी पेंशन हेतु लम्बित आवेदन-पत्र

***284. श्री नागेन्द्र नाथ ओझा:** क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) स्वतंत्रता सेनानियों के कितने आवेदन-पत्र पेंशन की स्वीकृति हेतु गृह विभाग में लम्बित है;

(ख) लम्बित आवेदन-पत्रों में से कितने आवेदन-पत्र उत्तर प्रदेश और बिहार से है;

(ग) लम्बित आवेदन-पत्रों में से कुल कितने आवेदन-पत्र ऐसे स्वतंत्रता सेनानियों के हैं जिन्हें राज्य सरकार स्वतंत्रता-सेनानी पेंशन दे रही है; और

(घ) क्या केन्द्रीय सरकार स्वतंत्रता की पचासवीं वर्षगांठ के अवसर पर स्वतंत्रता सेनानियों के लम्बित आवेदनों के निपटान हेतु कोई विशेष निर्णय लेने जा रही है?

गृह मंत्री (श्री इन्द्रजीत गुप्त): (क) से (घ) सभा पटल पर एक विवरण रखा जाता है।

विवरण

30.11.96 की स्थिति के अनुसार, निम्नलिखित राज्यों से हाल ही में प्राप्त 14 नए आवेदन पत्र सम्मान पेंशन प्रदान करने के लिए सरकार के विचारार्थ लम्बित पड़े थे:—

आन्ध्र प्रदेश	6
हिमाचल प्रदेश	1
जम्मू और कश्मीर	2
कर्नाटक	1
महाराष्ट्र	1
पंजाब	3

केन्द्रीय राजस्व से सम्मान पेंशन प्रदान करने हेतु आवेदन करते समय, आवेदक आमतौर पर यह नहीं बताते हैं कि क्या उन्हें संबंधित राज्य सरकार से स्वतंत्रता सेनानी पेंशन मिल रही है। अत: लम्बित पड़े आवेदन पत्रों में से उन आवेदन पत्रों की कुल संख्या बताना सम्भव नहीं है जिनमें राज्य सरकारें भी पेंशन दे रही हैं। तथापि स्वतंत्रता सेनानी को प्रदान की गई पेंशन के साथ-साथ केन्द्रीय पेंशन प्रदान करने पर कोई प्रतिबन्ध नहीं है।

तथापि, उन व्यक्तियों ने अनेक पुनरीक्षा आवेदन पत्र भेजे हैं, जिनके मामलों पर विगत में विचार किया गया था और केन्द्रीय पेंशन प्रदान करने के लिए उनकी पात्रता के बारे में पर्याप्त साक्ष्यों के अभाव में उनके दावे रद्द कर दिए गए थे। सरकार के पास इस समय ऐसी कुल 15,187 पुनरीक्षा याचिकाएं हैं। इनमें से 1,232 उत्तर प्रदेश से और 832 बिहार से हैं। राज्य-वार ब्यौरे संलग्न सूची में दिए गए हैं। इन 15,187 याचिकाओं में से, केवल 1500 मामलों में हीं, पिछले दो सालों के दौरान लगातार पुनरीक्षा याचिकायें बार-बार आ रही हैं। हालांकि सरकार ने विगत में इन सभी मामलों पर विचार किया था और इन्हें रद्द कर

दिया था, लेकिन अब विचारण की पूरी प्रक्रिया अपनाने के अलावा और कोई विकल्प नहीं है। यह एक निरन्तर चलने वाली और अन्तहीन प्रक्रिया है। तथापि, यह प्रक्रिया यह सुनिश्चित करने के लिए करनी आवश्यक है ताकि कोई वास्तविक स्वतंत्रता सेनानी, पैंशन से वंचित न हो जाय। क्योंकि बड़ी संख्या में ऐसे झूठे और जाली मामलों का पता लगा है, जिनके साथ नकली दस्तावेज संलग्न थे, इसलिए सभी मामलों की सावधानीपूर्वक जांच करना जरूरी है।

सरकार ने, सभी पुनरीक्षा याचिकाओं पर विचार करने और इन्हें निपटाने के लिए हाल ही में एक स्पेशल ऑडिट टीम का गठन किया है, जो केवल एक बार ही यह कार्य करेगा। इस टीम ने 28.10.1996 से पूर्ण रूप से कार्य करना प्रारम्भ कर दिया है और उम्मीद है कि यह टीम, 31.12.1996 तक, हाथ में लिए गए कार्य को पूरा कर लेगी। इस टीम के अध्यक्ष गृह मंत्रालय में संयुक्त सचिव (एफ॰एफ॰आर॰) हैं और इसमें अखिल भारत स्वतंत्रता सेनानी संगठन से दो प्रतिनिधि नामत: चौ॰ रनबीर सिंह और श्री एस॰ एस॰ यादव हैं। उत्तर प्रदेश और बिहार से संबंधित दावों के बारे में संबंधित राज्य सरकारों से अनुरोध किया गया है कि लम्बित पड़े पुनरीक्षा मामलों के त्वरित निपटान में स्वतंत्रता सेनानी प्रभाग की सहायता करने के लिए वे अपने राज्य स्तर की परामर्शदात्री समितियों से प्रतिनिधि भेजे।

हमारी स्वतंत्रता की पचासवीं वर्षगांठ के अवसर पर सरकार की यह हार्दिक और भरसक कोशिश है कि किसी भी वास्तविक स्वतंत्रता सैनानी को उसकी न्याय संगत पैंशन से वंचित न किया जाय।

लम्बित पड़ी पुनरीक्षा याचिकाओं के राज्य-वार सूची

क्रम सं॰	राज्य/संघ शासित क्षेत्र प्रशासन का नाम	लम्बित पड़ी पुनरीक्षा याचिकाओं की संख्या
1.	आन्ध्र प्रदेश	703
2.	उत्तर-पूर्वी राज्य	30
3.	बिहार	832
4.	गोवा	10
5.	गुजरात	21
6.	हरियाणा	300
7.	हिमाचल प्रदेश	383
8.	जम्मू और कश्मीर	308
9.	कर्नाटक	214
10.	केरल	1893
11.	मध्य प्रदेश	271
12.	महाराष्ट्र	673
13.	उड़ीसा	11
14.	पंजाब	131
15.	राजस्थान	386
16.	तमिलनाडु	2320
17.	उत्तर प्रदेश	1232
18.	पश्चिम बंगाल	391
19.	चंडीगढ़	2
20.	दिल्ली	282
21.	पांडिचेरी	178
22.	आर्य समाज सैल	9
23.	हैदराबाद सैल	483
24.	इंडियन नेशनल आर्मी	4124
	जोड़:	15187

श्री नागेन्द्र नाथ ओझा: मैडम, स्वतंत्रता सेनानियों की पैंशन के लिए लंबित आवेदनों के प्रश्न का जो उत्तर दिया गया है, उसमें दो बातें कही गई हैं जिनकी ओर मुझे ध्यान दिलाना पड़ रहा है। एक तो यह कि रिब्यू पिटीशन्स पैंडिंग हैं, उनके स्पीडी डिसपोज़ल के लिए स्पैशल ऑडिट टीम बनाई गई है। खास तौर से बिहार और उत्तर प्रदेश की सरकार से रिप्रेजैंटेटिव मांगे गए हैं ताकि वे एसिस्ट कर सकें लेकिन जहां की राज्य सरकार पहले से ही एसिस्ट करती आ रही है, एक ही आवेदक के बारे में बार-बार रिपोर्ट भेजती आ रही है, सिफारिश करती आ रही है कि इन्हें पैंशन दी जाए फिर भी उनके आवेदन यहां पैंडिंग हैं तो गृह मंत्री महोदय से मेरा प्रश्न है कि ऐसे आवेदनों के बारे में क्या प्रक्रिया अपनाई गई है? क्योंकि मेरे सामने एक मामला है। एक ऐसे स्वतंत्रता सेनानी हैं जिनको उत्तर प्रदेश की सरकार से प्रादेशिक पैंशन मिलती है, दूसरे, उत्तर प्रदेश की सरकार की तरफ से स्वतंत्रता सेनानियों की जो सूची संबंधी पुस्तक प्रकाशित की गई है, उसमें उनका नाम उल्लिखित है और तीसरी बात, 1942 में उनका घर जलाया गया तो घर जलने की बदौलत उन्हें उसका मुआवज़ा भी दिया गया, ऐसा क्लीयर-कट केस है। उनकी उम्र 85 साल की है और वे डंडा लेकर यहां दिल्ली में घूमते हैं और अधिकारियों और नेताओं से मिलते हैं। तो जहां ऐसा क्लीयर मामला है और उत्तर प्रदेश की सरकार ने बार-बार लिखा है और इसी तरह बिहार के भी ऐसे अनेक मामले हैं तो ऐसे स्वतंत्रता सेनानियों के बारे में किस तरह का सहयोग राज्य सरकार से आप चाहते हैं, मेरा पहला प्रश्न यह है।

श्री इन्द्रजीत गुप्त: जिस विशेष केस का ऑनरेबल मैम्बर ने उल्लेख किया, उसके बारे में तो मैं अभी फौरन कुछ नहीं कह सकता। मुझे देखना पड़ेगा कि केस का क्या रेफरेंस है और उसके कागज़ात देखकर ही मैं उत्तर दूंगा। अगर इतना क्लीयर-कट केस है तो मैं भी समझता हूं कि इसमें कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए थी। वह क्यों हुआ, किस कारण से हुआ, इसकी हमें जांच करनी पड़ेगी। मैं आपको अभी इतना ही कह सकता हूं कि जो नियम लेकर हम चल रहे हैं वह यह है कि राज्य की स्क्रीनिंग कमेटी के पास पहले तमाम ऐप्लिकेशन्स जाते हैं। वहां से स्क्रीनिंग कमेटी अगर सिफारिश करके, रिकमन्ड करके उनको भेजे सेंटर में तो अकसर उन केसेज को कबूल कर लेना चाहिए, मान लेना चाहिए। फिर भी अगर उनमें ऐसे कोई केस हैं जो वहां से रिकमन्ड हो कर आएं हैं और सेंटर में किसी कारण से उन्हें मंजूर नहीं किया जाता है, किसी प्वाइंट पर उनको शक है या ऐप्लिकेशन के अंदर जो तथ्य मांगे गए थे, वे तथ्य ठीक ढंग से नहीं दिए गए हैं, तो ऐसे केसेज में हम यह सिफारिश कर रहे हैं कि राज्य की जो स्क्रीनिंग कमेटी है, वह यू०पी० की हो, बिहार की हो या किसी भी राज्य की हो, उसकी तरफ से वह अपना एक प्रतिनिधि जिसको वे चाहें, चुनकर यहां भेजें। उन राज्यों के केसेज पर फिर से अंतिम विचार किया जाएगा। उन राज्यों के जो प्रतिनिधि हैं वे आकर के हमारे यहां की आडिट कमेटी की मदद करेंगे तो वेरीफाई करने के काम में हमको सहूलियत हो जाएगी। अभी हमने यह तरीका लिया है और वह चालू हो रहा है। मैं आशा करता हूं कि ऐसे केसेज में जल्दी-जल्दी फैसला हो जाएगा।

श्री जगेन्द्र नाथ ओझा: मंत्री जी के जवाब में एक बात कही गयी है कि कुछ ऐसे आवेदकों के कागजात मिले जो गलत थे, बोगस थे, तो मेरा दूसरा प्रश्न है कि क्या गृह मंत्री जी आश्वस्त करेंगे कि पैंशन पाने के जो जेनुअन स्वतंत्रता सेनानी छूट गये हैं, जिन्हें पैंशन नहीं मिल रही है, उनकी पैंशन स्वीकृत करने पर विचार करेंगे और जो बोगस डाकुमैंट के आधार पर पैंशन स्वीकृत किए गए हैं, उनकी पुनरीक्षा करेंगे? इसी से जुड़ा हुआ मेरा प्रश्न यह है कि जो आडिट टीम बनाई गई है जिसके बारे में आश्वस्त किया गया है कि उसने 28.11.96 से कार्य करना शुरू कर दिया है और 31.12.96 तक वह अपना कार्य सम्पूर्ण कर लेगा, तो क्या वह इसके बारे में सचमुच में यह कहने की स्थिति में है कि वह 31.12.96 तक इन तमाम केसिज का डिस्पोजल हो जाएगा और एक भी जेनुअन पैंशन पाने का आवेदक वंचित नहीं रह जाएगा?

श्री इन्द्रजीत गुप्त: जी हां, मैं यह आश्वासन दे सकता हूं। इस पर हमने बहुत ज्यादा जोर लगाया है और आपको मालूम होना चाहिए कि प्रधान मंत्री जी ने भी यह आदेश दिया है कि इस साल के अन्त तक, 31 दिसम्बर तक जो पैंडिंग केसेज हैं उनका फैसला पूरा हो जाना चाहिए क्योंकि अगले साल हम देश की आजादी की 50वीं साल गिरह मनाने जा रहे हैं। यह ठीक नहीं लगेगा कि हम इधर 50वीं साल गिरह मनाने जा रहे हैं और उधर पुराने स्वतंत्रता सेनानियों के केसेज पैंडिंग अभी तक पड़े हुए हैं। ऐसा नहीं होना चाहिए। इसलिए हम इसके ऊपर बहुत जोर दे रहे हैं और मैं आश्वासन दे सकता हूं कि 31 दिसम्बर तक हम इन तमाम केसेज का डिस्पोजल कर देंगे।

उपसभापति: होम मिनिस्टर साहब, समय इस तरह से बीतता जाएगा, और पचास साल में वह सब लोग इस दुनिया से ही चले जाएंगे तो पैंशन लेने के लिए भी कोई रहेगा नहीं, इस बात का भी ध्यान रखिए।

श्री रामदेव भंडारी: उपसभापति महोदया, मंत्री जी का जवाब बहुत हद तक संतोषजनक है। सिर्फ 14 नये मामले हैं और 15,187 मामले पुनरीक्षा के लिए है। महोदया, हमारे यहां या कई ऐसे पार्लियामैंट के मेम्बर्स हैं जिनके यहां कम से कम एक-दो स्वतंत्रता सेनानी हमेशा रहते हैं।

उनकी 60,70,75 की उम्र होती है और बार-बार दिल्ली आते हैं। मुझको लगता है कि विभाग में एक भावना बन गई है कि जो नये आवेदन पत्र आते हैं वह सही नहीं रहते हैं। यह इसलिए कि पहले जिन मामलों में स्वीकृति मिली, उनमें से कई जाली और फर्जी मामले पकड़े गये और इन मामलों को, ऐसे अधिकांश मामलों को रिजेक्ट कर रहे हैं। मंत्री जी ने एक आडिट टीम बनाई है, यह बहुत अच्छी बात है। मंत्री जी ने कहा है कि 31.12.96 तक सारे मामलों पर विचार करके अन्तिम निष्पादन कर देंगे। मैं मंत्री जी से निवेदन करना चाहूंगा कि जो स्वतंत्रता सेनानी हमारे पास आते हैं, उनके लिए हम लिखते हैं, पार्लियामैंट के मेम्बर लिखते हैं लेकिन उसका जवाब विभाग से नहीं आता है। हम जो लिखते हैं कुछ सोच समझ कर लिखते हैं, हमें स्वयं तय कर लेते हैं कि किन मामलों पर लिखना चाहिए और किन पर नहीं लिखना चाहिए। मैं मंत्री जी से यह आश्वासन चाहूंगा कि पार्लियामैंट के मेम्बर्स के द्वारा जिन मामलों में अनुशंसा की जाती है उस पर गहराई से विचार हो। कोई भी सही स्वतंत्रता सेनानी, सच्चा स्वतंत्रता सेनानी पैंशन पाने से वंचित न हो, यह मैं मंत्री जी से आश्वासन चाहूंगा।

श्री इन्द्रजीत गुप्त: मैडम, यह हमारा पूरा संकल्प है कि कोई भी जो जेन्युअन स्वतंत्रता सेनानी है वह कभी नहीं वंचित होना चाहिए इस पैंशन के अधिकार से। अगर हमारे दफ्तर से एम०पीज० साहब की चिट्ठियों का जवाब नहीं मिलता है तो मैं इसके लिए दुखी हूं और यह आप जानते हैं कि यह मामला कई वर्षों से चल रहा है। यह जो

लोकनायक भवन का दफ्तर बन चुका है कई सालों से जहां इन एप्लीकेशंस को छानबीन करने की बात है, ऐसी बहुत शिकायतें पहले भी आई इस दफ्तर के बारे में कि जवाब नहीं आता है और भी क्या-क्या चलता है मैं बोलना नहीं चाहता। ...(*व्यवधान*) प्रो॰ रंगा को आप जानते ही हैं। प्रो॰ रंगा ने मुझे एक बार सलाह दी थी कि समय क्यों नष्ट कर रहे हो लोकनायक भवन के पीछे-पीछे दौड़ कर। वहां मत जाइए, वहां कुछ होने वाला नहीं है। कुछ और भी उन्होंने कहा कि वहां कुछ भ्रष्टाचार का अड्डा भी बना है, वगैरह। हमने इसकी कुछ सफाई की है। हमने वहां के आफिसरों को बदला है। पुराने लोगों को वहां से हटाया है। मैं इतना कहना चाहता हूं कि कोई-कोई चिट्ठी का जवाब नहीं जाता है समय पर। यह हो सकता है कि यह दोष अभी है। मैं इसको देखूंगा, ठीक ढंग से जरूर जवाब जाना चाहिए। मैं दुखी हूं अगर ऐसा नहीं हुआ।

श्री संजय निरूपम: यह बहुत वाकई दुख की बात है कि हम अपनी आजादी के 50 साल पूरे कर रहे हैं और हमारे जो जेन्युअन फ्रीडम फाइटर है उनको पैंशन नहीं मिल पा रही है। मेरा सवाल यह है मंत्री महोदय से कि जिन फ्रीडम फाइटर के केसेज को स्टेट गवर्नमेंट एप्रूव कर देती है उनको फिर सेंट्रल गवर्नमेंट एप्रूव करने के लिए नई इंक्वायरी क्यों सैटअप करती है? क्यों नहीं स्टेट गवर्नमेंट की रिकमंडेशन को एक्सेप्ट कर लेती है? दूसरा सवाल यह है कि जहां तक मुझे जानकारी है कि सारे फ्रीडम फाइटर को स्टेट गवर्नमेंट 500 रुपए देती है और सेंट्रल गवर्नमेंट भी 500 रुपए पैंशन देती है, क्या इस महंगाई के जमाने में पैंशन का एमाउंट पर्याप्त है?

श्री इन्द्रजीत गुप्त: यह बात ठीक है कि स्टेट गवर्नमेंट बहुत सारे ऐसे लोगों को जिन्हें स्टेट पैंशन मंजूर कर देती है। उनके केसेज यहां आते हैं और दोबारा उन पर जांच होती है। ऑनोरेबिल मेंबर का कहना है कि दोबारा जांच करने की जरूरत नहीं होनी चाहिए। तो मैं इतना ही बोलना चाहता हूं कि पिछले दिनों जो तर्जुबा हुआ उससे यह देखने को मिला कि कुछ-कुछ स्टेट गवर्नमेंट पैंशन सैक्शन करने में बहुत ज्यादा लिबरल हुई है और दोबारा जांच होने पर देखा गया कि वह तमाम एप्लीकेशंस जेन्युअन नहीं है, दुरूस्त नहीं हैं इसलिए उनको देखने की जरूरत पड़ी, और कोई दूसरी बात नहीं है।

जहां तक इन्होंने पैंशन के एमाउंट के बारे में कहा है, मेरे ख्याल से वह उन्होंने ठीक नहीं कहा। स्टेट से उनको 500 रुपए पैंशन मिलती है। यहां से तो ज्यादा मिलती है। यहां से 1500 रुपए मिलती है। अब यह बात सही है कि आज के जमाने में महंगाई के दौर में यह काफी नहीं है और यह मांग भी उठी है कई लोगों की तरफ से कि पैंशन को बढ़ाना चाहिए। मेरी पूरी हमदर्दी है। इस मामले में सेंट्रल गवर्नमेंट की पैंशन 1500 रुपया है। कुछ साल हो गए जब 1000 रुपए से बढ़ाकर 1500 किया गया। लेकिन यह बात सही है कि मंहगाई के हिसाब से इसका कोई ताल्लुक नहीं है। स्टेट गवर्नमेंट जो पैंशन देती है वह एक ही हिसाब से हर स्टेट में नहीं है। कहीं ऐसी स्टेट्स हैं जहां 300 रुपया दिए जा रहे हैं, कुछ ऐसी स्टेट हैं जिसमें 1200 रु॰ दे रहे हैं। यह अक्सर ऐवरेज पर आप बोल सकते है। 500, 700 ऐसे ही कुछ देते हैं और सेंट्रल में 1500 देते हैं। इसको बढ़ाने के बारे में मैं अकेला इसमें फैसला नहीं ले सकता हूं। मेरी पूरी सहानुभूति है इस मांग के साथ कि इसको बढ़ाना चाहिए। लेकिन यह भी एक सवाल है कि सरकार को इस पर मुकम्मिल रूप से विचार करके तय करना पड़ेगा।

श्री संजय निरूपम: उसी सवाल से जुड़ा मेरा एक प्रश्न और है।

उपसभापति: नहीं, नहीं, एक और प्रश्न नहीं हो सकता। आप बैठ जाइये। सभी को थोड़ा चान्स मिलना चाहिये। जुड़े हुए तो सभी सवाल है। नो-नो प्लीज। डा॰ कृष्णमूर्ति जी आप बोलिये। ...(*व्यवधान*)

आप उनको लिखकर भेज देना। आपके सवाल का जवाब नहीं हो पायेगा। समस्या बहुत गम्भीर है चूंकि समय बीतता जायेगा तो क्वेश्चन आवर होगा ही नहीं, वह तो खत्म हो जाये। इसके साथ ही जुड़े हुए सवाल भी खत्म हो जायेंगे।

DR. Y. RADHAKRISHNA MURTY: Madam, the case of freedom-fighters in the erstwhile State of Hyderabad is entirely different due to lack of proper files and documents. A special committee was formed long back. The committee was constituted to process applications of the freedom-fighters. I would like to know the present state of this committee. I understand that the functioning of the committee, for the last one or two years, has been very tardy.

The second part of the question is, there are thousands of applications pending with the department and gathering tonnes of dust and thousands of queries. In the meanwhile, a crop of middlemen and brokers have come up and a sort of nexus between the brokers and the bureaucracy has developed. This particular point I would like the hon. Minister to note.

THE DEPUTY CHAIRMAN: Mr. Murty, the time is very short.

DR. Y. RADHAKRISHNA MURTY; Madam, just one minute. The brokers and the department people even demand 50% of the arrears to process the applications. Madam, this I am saying according to the first hand information I have got. When we wrote to the department I received a letter saying that 'We are looking into the matter.' But, in reality, they have never looked into the matter.

The thrid part of the question is whether the Home Minister will be pleased enough to curb this particular aspect which is taking place in his own department and under his own nose. Thank you.

SHRI INDRAJIT GUPTA: Madam, this is a very serious allegation. The hon. Member said that there are some people within the department and there are some middlemen outside who are posing to help some of these poor and not-well-educated people to get pension provided they are paid some money or share. I would welcome any cooperation from any hon. Member who would like to identity any such person in his knowledge. I assure you that strictest action will be taken against them.

As far as the Andhra Committee is concerned, I would like to say that there is a cell which was set up to look after the cases from Hyderabad. The cell mainly deals with cases relating to the Telangana Movement because there was a big struggle against the Nizam of Hyderabad who was protected by the British. Madam, this committee which the hon. Member was referring to, does not function from Hyderabad. The Chairman of the committee is' an old and respectable gentleman ...*(interruptions)*... His name is Shri Shroff. It is a feet that the committee has been making a very tardy progress, we are now in the process of trying to get that committee reconstituted because the Chairman is very, very old and he does not want to go out anywhere. He does not go to Hyderabad and very few meetings were called. So, Madam, we are trying to reconstitute and activate the committee so that the cases are taken up more expeditiously.

THE DEPUTY CHAIRMAN: Now, I have 18 Members who sought permission for putting questions on this...*(interruptions)*...*This* shows the seriousness and concern of the hon. Members. ...*(interruptions)*...

डॉ० जगन्नाथ मिश्र: मैडम, डिसकशन करा दीजिये। ..(व्यवधान)

SHRIMATI MARGARET ALVA:Madam, let us have a discussion on this.

THE DEPUTY CHAIRMAN: Sure. We will find the time and have a suggestion for the hon. Minister. As Members of Parliament come from various States, why not you think of constituting a small committee of Members of Parliament who can, at least, scrutinise those applications and expedite them and it will become much faster in disposing of the cases? You do not have to depend on the committee of bureaucrats.

श्री सिकन्दर बख्त: सदर साहिबा, मुल्क को आजाद हुए 50 साल हो गए। फ्रीडम फाइटर्स की क्या क्वालिफिकेशंस है वह इनसिसियेटेट है। इसलिए स्क्रीनिंग यह सब कुछ नहीं होना चाहिए। मैं होम मिनिस्टर साहब का दाद देता हूं कि उन्होंने बहुत नाजुक दिल से इस सवाल का जवाब दिया है। बदकिस्मती से इस सवाल के दोनों पहलू हैं। कुछ जेनुअन हैं जिन लोगों पर पूरे तौर पर नजर नहीं पड़ रही है और दूसरे किस्म के लोग भी दरमियान में आ गए हैं। उनके लिए जब आज इनेनसियेटेड पालिसी मौजूद है, इनन्सियेशन है कि फ्रीडम फाइटर्स कौन हैं तो इसमें उलझन क्यों है? इसमें उलझन नहीं होनी चाहिए।

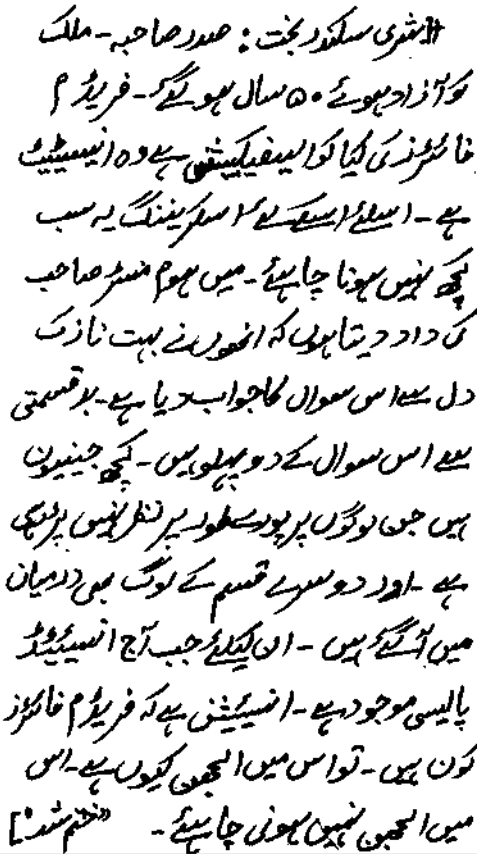

THE DEPUTY CHAIRMAN : Question Hour is over. t[ ] Transliteration in Arabic Script.